ग्राम पंचायत अधिकारी-ग्राम विकास अधिकारी

समन्वय समिति उत्तर प्रदेश

शासन द्वारा मान्यता प्राप्त दोनों संघो का मंच

रजनीकांत त्रिवेदी
अध्यक्ष
मो. न.- 9839834501

गंगेश कुमार शुक्ल
कार्यकारी अध्यक्ष
मो. न.- 8756546673

वीरेन्द्र प्रताप सिंह
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
मो. न.- 9721051106

दीपक चौधरी
महामंत्री
मो. न.- 9838655900

पत्रांक 22/2018

दिनाँक 06.07.2018

सेवा में,
मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

विषय—ग्रामपंचायत सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी) से राजस्व विभाग के कार्य लिये जाने सम्बन्धी आदेश विषयक:—

आदरणीय महोदय,

विनम्र आग्रह है कि ग्रामपंचायत सचिव से लेखपाल के कार्य लिये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। लोकसेवक के रूप में जनता के अतिआवश्यक कार्यों को निर्धारित समय में सम्पादित करना हमारा नैतिक दायित्व है परन्तु सचिव ग्राम पंचायत के पास केन्द्र एवं राज्य सरकार के प्रायः समस्त कल्याणकारी कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व है। सचिव ग्रामपंचायत के पास पूर्व निर्धारित दायित्व बहुत अधिक एवं अति महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत मिशन, शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास/मुख्यमंत्री आवास, मनरेगा एवं खुले में शौचमुक्त (ODF) साथ—साथ अन्य महत्वपूर्ण समयबद्ध कार्यक्रम सचिव के दायित्वों में सम्मिलित हैं।

लेखपाल सम्वर्ग के दायित्वों के लिए सचिव ग्रामपंचायत प्रशिक्षित नहीं हैं और न ही अभिलेखीय व व्यवहारिक ज्ञान है, चूँकि ग्रामपंचायत के पास अपने महत्वूपर्ण व समयबद्ध कार्यक्रमों के कारण अवसर नहीं है। सचिव ग्रामपंचायत के कार्य दायित्व की अधिकता एवं धरातलीय जटिलता के कारण उत्तरदायी कार्यक्रमों को समय से पूर्ण करने हेतु अथक परिश्रम करना पड़ता है तब लक्ष्य के करीब होते हैं। यदि लेखपाल के उत्तरदायित्व निर्वहन के लिए बाध्य किया जाता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के महत्वपूर्ण "स्वच्छ भारत मिशन" कार्यक्रम जिसमें 02 अक्टूबर 2018 तक प्रदेश को "खुले में शौचमुक्त (ODF)" करने का संकल्प है, इस पर प्रतिकूल प्रभाग पड़ेगा।

महोदय, केन्द्र एवं राज्य द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के

क्रमशः.......2 पर

ग्राम पंचायत अधिकारी-ग्राम विकास अधिकारी

समन्वय समिति उत्तर प्रदेश

शासन द्वारा मान्यता प्राप्त दोनों संघो का मंच

रजनीकांत त्रिवेदी
अध्यक्ष
मो. न.- 9839834501

गंगेश कुमार शुक्ल
कार्यकारी अध्यक्ष
मो. न.- 8756546673

वीरेन्द्र प्रताप सिंह
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
मो. न.- 9721051106

दीपक चौधरी
महामंत्री
मो. न.- 9838655900

पत्रांक 22/2018 दिनाँक 06.07.2018

साथ-साथ शौचालय, आवास, मनरेगा एवं "खुले में शौचमुक्त" करने के संकल्प को समय से पूर्ण कराने हेतु सचिव ग्रामपंचायत से अतिरिक्त रूप से किसी अन्य विभाग अथवा कर्मचारी के उत्तरदायी कार्य के लिए बाध्य न किया जाये। सचिव ग्रामपंचायत से लेखपाल संवर्ग का कार्य लिए जाने के लिए बाध्य करना अव्यवहारिक है क्योंकि सचिव ग्रामपंचायत के पास स्वयं के विभागीय दायित्वों के अतिरिक्त समय ही नहीं है। साथ ही यह अवगत कराना है कि आय प्रमाण-पत्रों के आवेदनों पर त्रुटिपूर्ण आख्या से शासकीय धनराशि की सम्भावित हानियों को भी रोका जा सके।

अतः संघ का विनम्र अनुरोध है कि "सचिव ग्रामपंचायत" को समयबद्ध एवं अति महत्वपूर्ण कार्यक्रमों सहित उत्तर प्रदेश राज्य को 02 अक्टूबर 2018 तक "खुले में शौचमुक्त (ODF)" कराने के संकल्प को पूर्ण करने के निमित्त "लेखपाल" के कार्य लेने से मुक्त रखने की कृपा करें।

अत्यन्त आदर के साथ!

(प्रांतीय महामंत्री) **(प्रांतीय अध्यक्ष)**

प्रतिलिपिः- सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त शाखा अध्यक्ष/मंत्री- ग्राम विकास अधिकारी एसो0, उ0प्र0 ग्रामपंचायत अधिकारी संघ, समन्वय समिति।
2. समस्त जिला विकास अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. निदेशक पंचायती राज उ0प्र./आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
6. प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।

(प्रांतीय महामंत्री)